न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.)सिवाना
पीठासीन अधिकारी श्रीमति कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 62/2020

वादीगण:–

1. मोहनलाल पुत्र मगनारामजी जाति दर्जी निवासी ढीढस तहसील समदडी जिला बाडमेर
2. गिरधारीलाल पुत्र मगनारामजी जाति दर्जी निवासी ढीढस तहसील समदडी जिला बाडमेर
3. घीसूलाल पुत्र मगनारामजी जाति दर्जी निवासी ढीढस तहसील समदडी जिला बाडमेर
4. पुखराज पुत्र मगनारामजी जाति दर्जी निवासी ढीढस तहसील समदडी जिला बाडमेर
5. सुन्दर पुत्री मगनारामजी जाति दर्जी निवासी ढीढस तहसील समदडी हाल निवासी कनाना तहसील पचपदरा जिला बाडमेर
6. शान्तावेन पुत्री मगनारामजी जाति दर्जी निवासी ढीढस तहसील समदडी हाल निवासी कोहिनूर सोसायटी अहमदाबाद गुजरात
7. जमना पुत्री मगनारामजी जाति दर्जी निवासी ढीढस तहसील समदडी हाल निवासी देसू जिला जालोर
8. लीलाबेन पुत्री मगनारामजी जाति दर्जी निवासी ढीढस तहसील समदडी हाल निवासी डीसा जिला बनासकांटा गुजरात

बनाम

प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी

वादपत्र बाबत् अधिकारो की घोषणा रेकर्ड दुरूस्ती

उपस्थित:–

1. श्री पूनमचन्द अधिवक्ता वादीगण

:: निर्णय::

दिनांक:– 06.08.21

यह वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादी के विरूद्व रा.का.अ. की धारा 88,188 पेश किया गया जिसका संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पुश्तैनी खातेदारी कृषि भूमि ग्राम ढीढस तहसील समदडी में खसरा संख्या 289, 398,430,445,477,497 रकबा क्रमशः 09.15,11.12,15.02,05.00,13.07,10.02 की भूमि आई हुई है वादग्रस्त भूमि मोहनलाल, गिरधारीलाल, बाबूलाल, घीसूलाल, पुखराज पि. मगनाराम एवं सुखी देवा मगनारामजी जाति दर्जी निवासी ढीढस के नाम पर खातेदारी की थी खातेदार [illegible] दिनांक 14.01.2003 से लापता है,तथा सुखीदेवी विधवा मगनारामजी का नि[illegible] दिनांक 06.06.2018 को हो गई है ,वादीगण का भाई बाबूलाल पुत्र मगनारामजी अविवाहित था उसका दिमागी संतुलन भी खराब था जो दिनांक 14.01.2003 को घर से निकल गया जिसकी वादीगण ने आस पास व दूर दराज में तलाश की लेकिन उसका कोई अतापता नहीं चला तो वादी नम्बर 4 पुखराज ने पुलिस थाना समदडी में दिनांक 01.02.03 को अपने भाई कर गुमशुदगी की रिपोर्ट पेश की जिस पर पुलिस थाना समदडी लापता व्यक्ति बाबूलाल की फोटो के साथ हुलिया दर्ज करते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.03 12:47:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

इश्तिहार साया करवा कर चस्पा किये गये लेकिन उसका आज दिन तक कोई अतापता नहीं चला न किसी व्यक्ति ने उक्त बाबूलाल जीवित होना सुना उसे जीवित देखा बाबूलाल के लापता हुए करीब 7 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है। सुखीदेवी विधवा मगनारामजी ने एक लिखित आवेदन तहसीलदार समदडी के समक्ष दिनांक 24.02.2016 को पेश किया जिसमे उसके पुत्र बाबूलाल के जीवित होने कोई पता नहीं चल रहा है बाबूलाल के हिस्सा में दर्ज वादग्रस्त भूमि का उसके प्रथम श्रेणी का कोई वारिस नहीं है, बाबुलाल अविवाहित था उसके भाई,बहिन व माता ही उत्तराधिकारी है अतः उनके नाम बाबुलाल की खातेदारी भूमि का राजस्व रेकर्ड में जरिये म्यूटेशन भरा जाकर इन्द्राज किया जावे। जिस पर तहसीलदार समदडी ने उसी प्रार्थना पत्र पर पत्रावली कायम करने व अखबार में आवेदन पत्र मय शपथपत्र की विगत को साया करवा कर आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर मगनाराम के पुत्र बाबुलाल की जगह उत्तराधिकारी मोहनलाल,गिरधारीलाल,पुखराज,सुकीदेवी वगैरह के नाम म्यूटेशन के आदेश जारी करने हेतु पत्रावली पेश कर यह आदेश दिनांक 24.02.2016 को जारी किया गया ,तहसीलदार समदडी के उक्त आदेश की पालना में दैनिक नवज्योति अखबार में आम सूचना जारी करवाई लेकिन न तो बाबुलाल स्वंय उपस्थित हुआ न किसी शख्स ने बाबुलाल को जीवित होना सुनने न उसे जीवित देखने की सूचना वादीगण व तहसीलदार समदडी के समक्ष पेश हुई । यानि किसी तरह की आपत्ति पेश नहीं हुई वादीगण की माता सुकीदेवी का हिस्सा वादग्रस्त कृषि भूमि में 1/6 था, उनके स्वर्गवास हो जाने के बाद उसके वारिसान उनकी पुत्रियां वादीगण संख्या 5 ता 8 क्रमशः सुन्दरदेवी, जमना, शांताबेन, लीलाबेन ने माताजी से मिले वादग्रस्त कृषि भूमि में आयी अपनी हिस्सेदारी 4/54 को वादीगण के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा, के दिनांक 22.06.2018 को हस्तान्तरित कर दिये जाने से वादग्रस्त कृषि भूमियों में वादी संख्या 1 का 11/54 वादी संख्या 2 का 11/54, वादी संख्या 3 का 11/54 व वादी संख्या 4 का 11/54 व बाबूलाल की हिस्सेदारी 10/54 है। बाबूलाल के लाऔलाद निवर्सियती लापता होने से बाबुलाल क प्रथम श्रेणी का कोई वारिस नहीं होने के कारण बाबूलाल के द्वितीय श्रेणी के वारिसान उनके सगे व ने वादीगण संख्या 1 ता 8 ही है,बाबूलाल की माता सुकीदेवी का भी देहान जाने से बाबुलाल के हक हिस्से की भूमि को विरासत में वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। तहसीलदार समदडी से निवेदन के पश्चात भी वादीगण के नाम बतौर वारिस बाबुलाल का नामान्तरकरण नही भरा जिससे वादीगण को अधिकारो की घोषणा का वाद पत्र पेश करना आवश्यक हो जाने से उक्त वाद पत्र पेश किया गया । वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chauhan
Date: 2021.09.03 12:47:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

सम्मन तामिल सुदा प्राप्त । वावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर साक्ष्य वादी में स्वयं वादीं द्वारा बयान कलमवद्ध करवाए जाकर दस्तावेज 1–8 जमावंदी,नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सीपीसी, थानाधिकारी समदडी द्वारा गुमसुदा की रिपोर्ट , दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में प्रकाशित आम सूचना,फोटोकॉपी राशनकार्ड ,प्रमाण पत्र संरपच ,तहसीलदार समदडी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, थानाधिकारी द्वारा प्रकाशित गुमसुदा पर्चा एवं अन्य गवाह जोराराम वादी साक्ष्य में पेश किये गये जिनके बयान कलमवद्ध किये गये।

वादीगण वकील की एक पक्षीय वहस को सुना गया। वादीगण अधिवक्ता ने दौराने वहस वाद पत्र के तथ्यो को दोहराया व कथन किया कि वादीगण के पुश्तैनी खातेदारी कृषि भूमि ग्राम ढीढस तहसील समदडी में खसरा संख्या 289, 398,430,445,477,497 रकवा क्रमशः 09.15,11.12,15.02,05.00,13.07,10.02 की भूमि आई हुई है वादग्रस्त भूमि मोहनलाल ,गिरधारीलाल, बाबूलाल, घीसूलाल, पुखराज पि. मगनाराम एवं सुखी बेवा मगनारामजी जाति दर्जी निवासी ढीढस के नाम पर खातेदारी के खातेदार बाबूलाल दिनांक 14.01.2003 से लापता है,तथा सुखीदेवी विधवा मगनारामजी का निधन दिनांक 06.06.2018 को हो गई है, वादीगण का भाई बाबूलाल पुत्र मगनारामजी अविवाहित था उसका दिमागी संतुलन भी खराब था जो दिनांक 14.01.2003 को घर से निकल गया जिसकी वादीगण ने आस पास व दूर दराज में तलाश की लेकिन उसका कोई अतापता नहीं चला तो वादी नम्बर 4 पुखराज ने पुलिस थाना समदडी में दिनांक 01.02.03 को अपने भाई कर गुमशुदगी की रिपोर्ट पेश की जिस पर पुलिस थाना समदडी लापता व्यक्ति बाबूलाल की फोटो के साथ हुलिया दर्ज करते हुए इश्तिहार साया करवा कर चस्वा किये गये लेकिन उसका आज दिन तक कोई अतापता नहीं चला न किसी व्यक्ति ने उक्त बाबूलाल जीवित होना सुना उसे जीवित देखा बाबूलाल के लापता हुए करीब 7 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है। सुखीदेवी विधवा मगनारामजी ने एक लिखित आवेदन तहसीलदार समदडी के समक्ष दिनांक 24.02.2016 को पेश किया जिसमे उसके पुत्र बाबूलाल के जीवित होने कोई पता नहीं चल रहा है बाबूलाल के नाम में दर्ज वादग्रस्त भूमि का उसके प्रथम श्रेणी का कोई वारिस नहीं है बाबूलाल अविवाहित था उसके भाई,बहिन व माता ही उत्तराधिकारी है अतः उनके नाम बाबुलाल की खातेदारी भूमि का राजस्व रेकर्ड में जरिये म्यूटेशन भरी जाकर इन्द्राज किया जावे। जिस पर तहसीलदार समदडी ने उसी प्रार्थना पत्र पर पत्रावली कायम करने व अखबार में आवेदन पत्र मय शपथपत्र की विगत को साया करवा कर आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर मगनाराम के पुत्र बाबुलाल की जगह उत्तराधिकारी मोहनलाल,गिरधारीलाल,पुखराज,सुकीदेवी वगैरह के नाम म्यूटेशन के आदेश जारी

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.03 12:47:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(SDO) सिवाना

करने हेतु पत्रावली पेश कर यह आदेश दिनांक 24.02.2016 को जारी किया गया ,तहसीलदार समदडी के उक्त आदेश की पलाना में दैनिक नवज्योति अखबार में आम सूचना जारी करवाई लेकिन न तो बाबुलाल स्वंय उपस्थित हुआ न किसी शख्स ने बाबुलाल को जीवित होना सुनने न उसे जीवित देखने की सूचना वादीगण व तहसीलदार समदडी के समक्ष पेश हुई । यानि किसी तरह की आपत्ति पेश नहीं हुई वादीगण की माता सुकीदेवी का हिस्सा वादग्रस्त कृषि भूमि में 1/6 था, उनके स्वर्गवास हो जाने के बाद उसके वारिसान उनकी पुत्रियां वादीगण संख्या 5 ता 8 क्रमशः सुन्दरदेवी,जमना,शांताबेन,लीलाबेन ने माताजी से मिली वादग्रस्त कृषि भूमि में आयी अपनी हिस्सेदारी 4/54 को वादीगण के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा, के दिनांक 22.06.2018 को हस्तान्तरित कर दिये जाने से वादग्रस्त कृषि भूमियों में वादी संख्या 1 का 11/54 वादी संख्या 2 का 11/54, वादी संख्या 3 का 11/54 व वादी संख्या 4 का 11/54 व बाबूलाल की हिस्सेदारी 10/54 है। बाबूलाल के लाऔलाद निवर्सियती लापता होने से बाबुलाल क प्रथम श्रेणी का कोई वारिस नहीं होने के कारण बाबूलाल के द्वितीय श्रेणी के वारिसान उनके सगे भाई व बहिने वादीगण संख्या 1 ता 8 ही है,बाबूलाल की माता सुकीदेवी का भी देहान्त हो जाने से बाबुलाल के हक हिस्से की भूमि को विरासत में वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। हमने वादी अधिवक्ता द्वारा पेश तथ्य एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया पत्रावली का अवलोकन व मनन किया

पत्रावली पर वादीगण साक्ष्य में पेश दस्तावेज प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2067–2070 की नकल है जिसमें वादीगण के साथ वादी के भाई बाबूलाल का नाम अंकित है। वादी संख्या 04 द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना समदडी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रदर्श 03 का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि वादीगण द्वारा अपने भाई के लापता होने की सूचना थानाधिकारी पुलिस थाना समदडी को प्रस्तुत कर दी गई थी परन्तु आदिनांक तक बाबूलाल का कोई अतापता नहीं है। प्रदर्श 04 तहसीलदार समदडी द्वारा 26 फरवरी 2016 में दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में भी बाबूलाल के लापता होने के सम्बन्ध में समाचार प्रकाशित किया गया लेकिन आदिनांक तक बाबूलाल के बारे में कोई जानकारी सामने नही आई है। प्रदर्श 6 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि बाबूलाल के गुमसुदा होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र जारी किया गया है बाबूलाल के लाऔलाद व निवर्सियत होने के कारण उसकी माता सुकी देवी को उसका वारिस बताया गया है वर्तमान में बाबूलाल की माता सुकी देवी की फौत हो चुकी है। प्रदर्श 08 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि थानाधिकारी समदडी द्वारा बाबूलाल के तलाश हेतु गुमसुदगी का इश्ताहार प्रकाशित किया गया परन्तु आदिनांक तक बाबूलाल के बारे में किसी प्रकार की कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusum lata Chouhan
Date: 2021.09.03 10:47:12 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त तथ्यो एवं साक्ष्य सबुतो से वादीगण अपने वादपत्र को साबित करने में सफल रहा है कि वादीगण का भाई बाबूलाल दिनांक 01.02.2003 से लाऔलाद व निवर्सियत लापता है जिसके बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है बाबूलाल के लाऔलाद निर्वसियत लापता होने से उसकी वसीयत की प्रथम श्रेणी की हकदार उसकी माता सुकी देवी थी जिनका भी देहान्त हो गई । उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य न्यायोचित प्रतीत होने से वादीगण का वाद स्वीकार कर वादग्रस्त खातेदारी खेत सरहद मौजा ढीढस तहसील समदडी में खसरा संख्या 289, 398,430,445,477,497 रकबा क्रमशः 09.15,11.12,15.02,05.00,13.07,10.02 बीघा की भूमि मे से बाबूलाल के हिस्सेदारी 10/54 की भूमि का वादीगण संख्या 1 ता 8 को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार समदडी आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करे । डिकी पर्चा अलग से जारी हो। खर्चो पक्षकारान अपना–अपना वहन करने करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

निर्णय आज दिनांक 06.08.21 को लिखाया जाकरखुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.03 12:47:12 IST
Reason: SelfAttested